प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी बागोलिया व भू.अ. निरिक्षक रायपुर तहसील रायपुर

महोदयजी,

प्रार्थी मूला पिता धूला बलाई के भूमि बाड़ी के खाता सं. 31 मे मूला सही नाम दर्ज है जबकी खाता सं 108 मे भोलीराम पिता धूला बलाई गलत दर्ज हो गया है. दोनो खाता सामलाती है जिसकी जानकारी करने पर भोलीराम पिता धूला बलाई नामकी व्यक्ति भूमि बाड़ी मे नहीं होना जाहिर हुआ मूला व भोलीराम एक ही व्यक्ति है अतः खाता सं 108 मे भोलीराम पुत्र धूला के बजाय मूला पुत्र धूला दर्ज किया जाना उचित है।

[signature] 11/10

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

राजस्व [signature] 11-10-2021

रिपोर्ट पटवारी व जांच भू.अ. अनुसार दुरुस्ती योग्य है।

[signature] 11/10/21

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्र०गा० संग/2021/14/2021 दि० 11.10.2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू०अभि. निरीक्षक व तहसीलदार रायपुर की जांच अनुसार ग्राम बाड़ी राजस्व ग्राम बाड़ी प०ह० बागोलिया की जमा 2075 से 2078 के खा. सं. 108 मे सह खातेदार भोलीराम पि० धूला बलाई के बजाय मूला पि० धूला बलाई सा. देह शुद्धि किया जावे, तदनुसार रिकार्ड मे इन्द्राज किया जावे।

[signature] 11-10-21

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

मूला पिता धूला बलाई निवासी बाड़ी तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 14 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
दिनांक– 11-10-2021	प्रार्थी मूला पिता धूला बलाई निवासी बाड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम बाड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2074–2077 में शामलाती खाता संख्या 108 में किता 45 रकबा 6.98 है0 भूमि प्रार्थी भोलीराम पिता धूला बलाई सा. देह के नाम पर सहखातेदार से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम मूला पिता धूला बलाई के बजाय भोलीराम पिता धूला बलाई अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम मूला पिता धूला बलाई है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बाड़ी के खाता संख्या 108 में सहखातेदार भोलीराम पिता धूला बलाई के बजाय मूला पिता धूला बलाई दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार भोलीराम पिता धूला बलाई के बजाय मूला पिता धूला बलाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:11:16 IST Reason: SelfAttested 11.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा